न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 02/2018/निगरानी

आनन्द शर्मा पुत्र गीगराज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी भराला ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री दीपचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम भराला ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

2 ग्राम पंचायत महावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नीमकाथाना के आदेश दिनांक 19.01.2018 अपील संख्या 46/04.09.2017 उनवानी द्वारका प्रसाद बनाम आनन्द शर्मा बाबत पट्टा दिनांक 10.08.2017 ग्राम पंचायत महावा

वकील प्रार्थी श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—30.09.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पुराने आवासीय मकान का नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना ने पट्टा जारी करने के नियमों की पूर्ण पालना करके दिनांक 10.08.2017 को पट्टा जारी किया था। उक्त पट्टा संख्या 56 को उपपंजियक नीमकाथाना द्वारा दिनांक 22.08.2017 को पुस्तक संख्या— 01, जिल्द संख्या 434 के पृष्ठ संख्या 166 क्रमांक 2172 पर पंजिबद्व करके अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 430 के पृष्ठ संख्या 362—363 पर दर्ज किया था। उक्त रजिस्टर्ड पट्टा के विरूद्व गैर निगरानीकर्तागण ने बिना किसी आधार के ही दिनांक 04.09.2017 को धारी 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत समिति नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। जिसके सम्बंध में पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, निगरानीकर्ता के मकान के पूर्व दिशा में अवस्थित सार्वजनिक चौक को गैर निगरानीकर्ता एवं उनके परिवार का निजी चौक होने व निगरानीकर्ता के पट्टा में सार्वजनिक चौक के स्थान पर निजी चौक दर्ज करने का ग्राम पंचायत महावा को निर्देश देने का विधि विरूद्व निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा पट्टा संख्या 56 दिनांकित 10.08.2017 के विरूद्व प्रस्तुत अपीलाधीन पट्टा रजिस्टर्ड दस्तावेज था तथा रजिस्टर्ड पट्टा के विरूद्व अपील सुनवाई का प्रशासन एवं स्थापना समिति को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। योग्य अधीनस्थ समिति द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता के मकान के पूर्व दिशा में अवस्थित सार्वजनिक चौक के सम्बंध में विधिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रक्रिया अपना कर जांच नहीं की, ना ही सार्वजनिक चौक को निजी चौक होने का निर्णय पारित करने का अधीनस्थ समिति को अधिकार प्राप्त था। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत अपील में निगरानीकर्ता के पट्टा शुदा मकान के पूर्व दिशा में सार्वजनिक चौक को अपनी मिलकियत का स्वयं का चौक होना अंकित किया जबकि स्वयं की मिलकियत का चौक होने बाबत स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त चौक सार्वजनिक चौक है जिसमें से चार रास्ते आबादी में जाने के लिए कदीम से है उक्त रास्तों का अस्तित्व होना अधीनस्थ समिति ने भी निर्णय में स्वीकार किया है। योग्य अधीनस्थ समिति ने चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करके बालूराम के चार पुत्र मूलचन्द, महादेवराम, दीपचन्द, फतेहचन्द के पुश्तैनी मकान के सामने सार्वजनिक चौक को गलत रूप से खाली भूमि बताई है एवं उक्त भूमि को बालूराम के चार पुत्र एवं उनके पौत्र अर्थात समस्त वारिसान का चौक होना अंकित किया है। यदि उक्त चौक सार्वजनिक नहीं होता व बालूराम के सभी पुत्रों की मिलकियत की खाली जगह होती तो बालूराम के अन्य वारिसान भी दस्तावेजात के साथ अपील प्रस्तुत करते, जबकि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने अपील मेमों में स्वयं की मिलकियत का होना अंकित किया है। निगरानीकर्ता के पट्टा में सार्वजनिक चौक को निजी चौक अंकित करने का निर्देश देना विधि विरूद्व है। क्योंकि पट्टा रजिस्टर्ड है जिसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधीनस्थ समिति को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर योग्य अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नीमकाथाना के द्वारा अपील संख्या 26/2017 में दिनांक 19.01.2018 को पारित निर्णय को खारिज किया जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस की सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आनन्द शर्मा के नाम से ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा प0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान–2017 के तहत दिनांक 10.08.2017 को पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे में सीमांकन निम्नानुसार दर्शायी गई है– उत्तर में आम रास्ता व सार्वजनिक चौक का हस्सा, दक्षिण में खाली जगह व महाजनों का मकान, पूर्व में सार्वजनिक चौक, पश्चिम में स्वयं की गली। प्रार्थी आनन्द शर्मा के नाम से उक्त जारी पट्टे के विरूद्व अप्रार्थी द्वारका प्रसाद द्वारा पंचायत समिति नीमकाथाना के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति नीमकाथाना की स्थायी प्रशासन समिति द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि "उक्त हवेली बालूराम के चार पुत्र श्री मूलचन्द, श्री महादेवराम, श्री दीपचन्द व फतेहचन्द महाजन का पुश्तैनी मकान है तथा पुश्तैनी मकान के सामने जो भूमि खाली पड़ी हुई है जिसे नक्शें में सार्वजनिक चौक दर्शाया गया है। वह एक सार्वजनिक चौक नहीं होकर श्री बालूराम के चार पुत्र एवं उनके पौत्र अर्थात् समस्त वारिसान का चौक है। किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसी चौक में से होकर जो रास्ते प्रचलित है जो रास्ते चालू रहेंगे किसी भी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें।" अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी आनन्द शर्मा के नाम से उक्त जारी पट्टे में सीमांकन की पूर्व दिशा में अंकित सार्वजनिक चौक के स्थान पर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय में उक्त स्थान पर बालूराम के चार पुत्रों का मकान होना अंकित किया हुआ है एवं उक्त खाली भूमि नक्शें में सार्वजनिक चौक दर्शाया गया है वह सार्वजनिक चौक नहीं होकर बालूराम के चार पुत्रों का होना अंकित किया है। प्रार्थी आनन्द शर्मा के नाम से जारी पट्टे की पूर्व दिशा में अंकित सार्वजनिक चौक वाली भूमि पर बालूराम के पुत्रों का मकान स्थित होने के सम्बंध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं उक्त खाली भूमि अर्थात् आनन्द शर्मा के नाम से जारी पट्टे की पूर्व दिशा में बालूराम के चार पुत्रों का मकान होने के सम्बंध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में बालूराम के नाम से उक्त भूमि का पट्टा होने अथवा किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय में इन बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया गया है एव ना ही निर्णय में इस सम्बंध में कहीं कोई उल्लेख किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। ग्राम पंचायत महावा पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 10.08.2017 को प्रार्थी आनन्द शर्मा के नाम से जारी पट्टे के विरूद्व पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा अपील संख्या 26/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2018 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official